

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

संख्या लैज. 32/2025.— दि हरियाणा मैनुइज्मेंट ऑफ सिवइक अमेंनिटिज ऐन्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर डिफिशनट म्यूनिसिपल एअरिअज (स्पेशल प्रेविशर्जनस) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 13 दिसम्बर 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2025

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—
 - (i) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

‘(खक) “विकास अभिकरण” से अभिप्राय है, ऐसा अभिकरण, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित करे;

(खख) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग;

(खग) “उद्यमी” का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है;

(खघ) “उद्यम” का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है;’;
 - (ii) खण्ड (छ) में, अन्त में विद्यमान चिह्न “।” के स्थान पर, “;” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iii) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

‘(ज) “अनधिकृत विकास” से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में विकसित किया गया है;

(झ) “अनधिकृत भू-खण्ड” से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 7 के उपबंधों की उल्लंघना में उप-विभाजित किया गया है।’।

2016 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 2 का संशोधन।

2016 के
हरियाणा
अधिनियम 14 में
धारा 5क का
रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“5क. अनधिकृत औद्योगिक स्थापना का नियमितीकरण.— अनधिकृत औद्योगिक स्थापना के नियमितीकरण के मामले में, उद्यमी/उद्यम से आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और आवेदक (आवेदकों) के विरुद्ध संस्थित की गई सभी दांडिक कार्रवाई, किसी विधि न्यायालय में अग्रेषित या लम्बित मामलों को छोड़कर, पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक निलंबित समझी जाएंगी।

व्याख्या:— इस धारा के प्रयोजनों हेतु “अनधिकृत औद्योगिक स्थापना” से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक स्थापना की इकाई, जो लागू अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से ऐसी इकाई को स्थापित करने हेतु अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना ही स्थापित की गई हो।”।

2016 के
हरियाणा
अधिनियम 14 में
धारा 6क और
6ख का रखा
जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“6क. सार्वजनिक सड़क— घोषित क्षेत्र की अभिन्यास योजना में दर्शाई गई और उसमें आने वाली सड़कें और गलियां, सार्वजनिक सड़क के रूप में नगरपालिका में निहित होंगी।

6ख. सरकार द्वारा नियंत्रण.— निदेशक, ऐसे निर्देशों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।”।

2016 के
हरियाणा
अधिनियम 14
की धारा 9 का
संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ड) का लोप कर दिया जाएगा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।